अति-आवश्यक

संख्या संख्या: फिन-ए-सी-(17)-2/2020
हिमाचल प्रदेश सरकार
वित्त (बजट) विभाग

प्रेषकः

प्रधान सचिव (वित्त),
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002.

प्रेषितः

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
हिमाचल प्रदेश सरकार।

2. समस्त विभागाध्यक्ष ,
हिमाचल प्रदेश।

दिनांकः शिमला-171002, 12 **जुलाई, 2023.**

विषयः- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए-बचत बारे।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के राज्य के वित्त पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के पैरा संख्या 3.3.7 में इंगित किया गया है कि जहाँ विभागों की दूरदर्शिता के अभाव, स्पष्ट अनुमान की उपेक्षा अथवा असावधानी पूर्ण अनुमान के परिणामस्वरूप त्रुटिपूर्ण अथवा गलत अनुमान बनायें जाते हैं, वहां इसे आसानी से स्वीकार नहीं किया जा सकता। बजट में आवश्यकतानुसार ही प्रावधान करना सभी प्राक्कलन अधिकारियों का स्वर्णिम सिद्धांत माना जाना चाहिए। विभागों को अनुमानों की जांच करते समय, विगत वास्तविकों के प्रमाणित तथा अच्छी तरह से जांचे गए औसत को, साथ ही उन ज्ञात अथवा यथायोग्य पूर्वाभास तथ्यों को जो औसत में संशोधन ला सकते हैं, कठोरता से लागू करना चाहिए। जब अभ्यर्पण की आवश्यकता स्वतः प्रकट होती है, नियंत्रण अधिकारियों को अभ्यर्पित की जाने वाली धनराशि का आंकलन सतर्कता से करना चाहिए। जितना हो सके उतना अधिक अभ्यपर्ण करने का लक्ष्य होना चाहिए ताकि व्यय को संशोधित अनुदान के भीतर रखा जा सके।

अवास्तविक प्रस्तावों पर आधारित बजटीय आबंटन, व्यय पर खराब निगरानी तंत्र, योजना कार्यान्वयन की कमजोर क्षमता/कमजोर आतंरिक नियंत्रण ने वित्तीय वर्ष के अंत में निधियां जारी करने को प्रोत्साहित किया तथा राशि को सरकारी खाते के बाहर, बैंक खातों में रोके रखने की विभागों की प्रवृत्ति को बढ़ाया। अत्यधिक बचत ने अन्य विभागों को भी निधियों से वंचित किया जिसे उपयोग किया जा सकता था।

विभागों द्वारा इस प्रक्रिया का बार-बार दोहराया जाने को गंभीरता से लिया गया है। आपसे अनुरोध है कि वित्त विभाग को बजट अनुमान/अनुपूरक अनुदान हेतु प्रस्ताव भेजते समय वास्तविक जरूरत को ध्यान में रखा जाए ताकि अनावश्यक बजट/अनुपूरक प्रावधान से बचा जा सकें। साथ ही विभाग जहाँ तक संभव हो ऐसा प्रावधान न करवाएं जिसे बाद में पुनर्विनियोजित करवाना पड़े।

कृपया उक्त निर्देशों का सभी सम्बंधित आधिकारियों/कर्मचारियों के ध्यान में अनुपालना हेतु लाया जाए।

भवदीय,

(प्रदीप कुमार)
उप सचिव (वित्त),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

***